न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 34 / 2024
जीसीएमएस नं. : 2024 / 105

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री योगेश लबाना / कीर्तन लाल लबाना, दीवाली मगरा, शेरगढ, तहसील गांगडतलाई जिला बॉसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री योगेश लबाना स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 09–01–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 20.09.2024 को शेरगढ में स्थित दीवाली मगरा के गोदाम की जांच श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान मौके पर 09 घरेलु सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	784736	15.800	15.800	0.000
2	भारत गैस	158138	16.500	16.500	0.000
3	भारत गैस	361632	15.700	15.700	0.000
4	भारत गैस	00511	15.500	15.500	0.000
5	भारत गैस	324886	16.100	16.100	0.000
6	भारत गैस	183332	15.900	15.900	0.000
7	भारत गैस	112048	15.900	15.900	0.000
8	भारत गैस	338187	15.700	15.700	0.000
9	भारत गैस	3196	16.800	16.800	0.000

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

श्री योगेश लबाना से घरेलु गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण करने के संबंध में पुछने पर बताया कि वह भारत गैस का सीएससी संचालक है। परन्तु उसके द्वारा मौके पर इस संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नही किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 09 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने हेतु अवैध भण्डारण करना द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 09 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर मां कुंजल इण्डेन गैस, गांगडतलाई के सेल्समेंन श्री ताकत सिंह कटारा/ रमण लाल कटारा को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 09 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री अभय कुमार जैन अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र व जवाब प्रस्तुत हुआ अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि विभाग द्वारा 9 गैस सिलेण्डर जप्त किये गए है। जिसमें से 7 गैस सिलेण्डर प्रार्थी के भाई भुपेन्द्र कुमार मेरावत सी.एस.सी सत्यम भारत गैस बागीदौरा का प्रोपराईटर होकर गैस सिलेण्डर का व्यवसाय करता है जिसकी सी.एस.सी सम्बन्धित अनुबन्ध की प्रति प्रार्थी के भाई भुपेन्द्र कुमार मेरावत के नाम से है। अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। 2 घरेलु सिलेण्डर जो घरेलु सिलेण्डर थे उन 2 सिलेण्डर (784736, 158138) को हमारे द्वारा भरवाने के लिये घर से बाहर रखे थे जिनके कनेक्शन प्रार्थी स्वयं के नाम से है। जिनके गैस कनेक्शन के पास बुक की फोटाप्रति संलग्न है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अवैध कारोबार नही किया है। इस हेतु प्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त करते हुए जब्त किये गए 9 घरेलु गैस सिलेण्डर सुपूर्द कर दिलाये जाने हेतु निवेदन है।

दिनांक 18.12.2024 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने जवाब में प्रस्तुत बिन्दुओ को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विभाग द्वारा 9 गैस सिलेण्डर जप्त किये गए है। जिसमें से 7 गैस सिलेण्डर प्रार्थी के भाई भुपेन्द्र कुमार मेरावत सी.एस.सी सत्यम भारत गैस बागीदौरा का प्रोपराईटर होकर गैस सिलेण्डर का व्यवसाय करता है जिसकी सी.एस.सी सम्बन्धित अनुबन्ध की प्रति प्रार्थी के भाई भुपेन्द्र कुमार मेरावत के नाम से है। अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। 2 घरेलु

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

सिलेण्डर जो घरेलु सिलेण्डर थे उन 2 सिलेण्डर (784736, 158138) को हमारे द्वारा भरवाने के लिये घर से बाहर रखे थे जिनके कनेक्शन प्रार्थी स्वयं के नाम से है। जिनके गैस कनेक्शन के पास बुक की फोटाप्रति संलग्न है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अवैध कारोबार नही किया है। अप्रार्थी द्वारा आगामी पेशी दिनांक को दस्तावेज पेश करने एवं बहस हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 09. 01.2025 को अप्रार्थी ने श्री भुपेन्द्र कुमार मेरावत पिता श्री किर्तन लाल मेरावत का शपथ पत्र पेश किया तथा पुनः निवेदन किया कि प्रार्थी का भाई भुपेन्द्र कुमार मेरावत सी.एस.सी सत्यम भारत गैस बागीदौरा का प्रोपराईटर होकर गैस सिलेण्डर का व्यवसाय करता है जिसकी सी.एस.सी सम्बन्धित अनुबन्ध की प्रति प्रार्थी के भाई भुपेन्द्र कुमार मेरावत के नाम से है। उक्त समस्त कार्यवाही सीएससी गोदाम दीवाली मगरा, टांडा पो. शेरगढ, गांगडतलाई से की गई है। कार्यवाही के दौरान मेरा भाई श्री भुपेन्द्र कुमार मेरावत किसी कार्य से बाहर जाने पर उक्त गौदाम पर मैं उपस्थित था। उक्त जब्तशुदा 9 घरेलु गैस सिलेण्डर सुर्पूर्द करने आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 20.09.2024 को शेरगढ में स्थित दीवाली मगरा के गोदाम की जांच श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान मौके पर 09 घरेलु सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करना पाया गया। श्री योगेश लबाना से घरेलु गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण करने के संबंध में पुछने पर बताया कि वह भारत गैस का सीएससी संचालक है। परन्तु उसके द्वारा मौके पर इस संबंध में किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नही किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 09 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग करने हेतु अवैध भण्डारण करना द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 09 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर मां कुंजल इण्डेन गैस, गांगडतलाई के सेल्समेंन श्री ताकत सिंह कटारा/ रमण लाल कटारा को सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त 9 घरेलु गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गए है। अप्रार्थी स्वयं द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वह सी.एस.सी संचालक नही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 09 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी यह साबित करने में असफल रहा है कि उक्त जब्तशुदा 9 घरेलु गैस सिलेण्डर सी.एस.सी के अधिकृत गौदाम से जब्त किये गए है। अप्रार्थी द्वारा दौराने कार्यवाही स्वयं को सी.एस.सी संचालक होना बताया तत्पश्चात् सुनवाई के दौरान अपने भाई श्री भुपेन्द्र कुमार मेरावत को सी.एस.सी संचालक होना जाहिर किया है, इस प्रकार इसमें विरोधाभास है। अप्रार्थी के कब्जे से दीवाली मगरा, शेरगढ स्थित गौदाम पर 09 घरेलु सिलेण्डर जब्त किये गए है। उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस का अवैध भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 09 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 09–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:41:36 IST
Reason: SelfAttested